



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकर द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिद्ध

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, 2003 ई०

शक समवत्

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
संख्या १५९/कृषि/2003
देहरादून, १२-८-२००३

अधिसूचना संशोधन

कीटनाशी अधिनियम 1968(अधिनियम संख्या 46, सन् 1968) की धारा (20) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या ४३२/कृषि/2003 दिनांक 30 जुलाई 2003 को निरस्त करते हुये इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित पदाधिकारियों को जो उक्त अधिनियम के अधीन गठित कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम-26 के अंतर्गत निर्धारित अर्हता रखते हों, को राज्य स्तरीय कीटनाशी निरीक्षक दल का सदस्य घोषित करते हैं। इस दल का अधिकारिता क्षेत्र संपूर्ण उत्तरांचल होगा।

- (1) कृषि विभाग में कार्यरत संयुक्त कृषि निदेशक स्तर का अधिकारी— 1(एक)
- (2) कृषि विभाग में कार्यरत मुख्य कृषि अधिकारी स्तर का अधिकारी— 1(एक)
- (3) कृषि विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक स्तर का अधिकारी— 1(एक)
- (4) कृषि विभाग में कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 के स्तर का अधिकारी— 1(एक)

आज्ञा से
Omkar Singh
5.12.03
(ओम प्रकाश)
संधित

— — — 2.